FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

भवानीसिंह बनाम सरकार

किस्म मुकदमा :–प्रार्थनापत्र अन्तर्गत 136 एलआरएक्ट

मु.नं. एवं सन 71/2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
24-03-26	प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अधिवक्ता श्री इमीचंद गोदारा द्वारा प्रस्तुत हुआ जिसे अन्तर्गत 136 एलआरएक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थनापत्र का संक्षिप्त विवरण प्रार्थी के प्रार्थनापत्र अनुसार इसप्रकार है कि प्रार्थी के नाम से राजस्व तहसील खाजूवाला के चक 1–2 एमडीएम वर्तमान चक 17 पीकेडी ए के खाता सं0 54 मु0नं0 22/46 के किला नं0 18 ता 25 में 08.00 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड (2.0232) विषेष आवंटन कृषि भूमि प्रार्थी भवानीसिंह पुत्र माधूदान जाति चारण निवासी बीकानेर के नाम से विषेष आवंटन श्रेणी में दिनांक 20.09. 1993 को हुआ था तथा उक्त विषेष आवंटन रकबा का कब्जा दिनांक 26.10.1993 को प्रार्थी ने प्राप्त कर लिया था। प्रार्थी के नाम उक्त कृषि भवानीसिंह पुत्र माधूदान जाति निवासी बीकानेर के नाम से अमलदरामद नामान्तकरण दर्ज शुद्धा है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम भवानीसिंह NA माधोदान जाति चारण निवासी बीकानेर के राजस्व तहसील खाजूवाला चक 17 पीकेडी ए खाता सं0 54 मु0नं0 222/46 के किला नं0 18 ता 25 में 08.00 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड (0.0232 है0) विषेष आवंटन दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त रकबा की ऑनलाईन जमाबंदी तैयार करते समय प्रार्थी का नाम भवानीसिंह NA माधोदान जाति चारण निवासी बीकानेर कर दिया जबकि पहचान के दस्तावेजों व मूल आवंटन आदेष, नामान्तकरण आदेष में ऑनलाईन राजसव रिकॉर्ड भी भवानी सिंह पुत्र माधूदान जाति चारण निवासी बीकानेर के नाम से थे। अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत पेषकर श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रार्थी के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम भवानी सिंह NA माधोदान जाति चारण निवासी बीकानेर के स्थान पर भवानी सिंह पुत्र माधूदान जाति चारण निवासी बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर दुरूस्त किये जाने का आदेष फरमाने का निवेदन किया है। प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र को साबित करने के पक्ष में जमाबंदी, आधारकार्ड, आवंटन आदेष, चालान की प्रति प्रस्तुत की। प्रस्तुत आवंटन आदेष व नामान्तरण की प्रति में प्रार्थी का नाम भवानी सिंह पुत्र माधूदान अंकित है। पत्रावली पर सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया है।	

	पत्रावली अध्ययन अवलोकन व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत आवंटन आदेष व नामान्तकरण इत्यादि की प्रति में प्रार्थी का नाम भवानी सिंह पुत्र माधूदान अंकित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र धारा 136 एलआरएक्ट व 151 सीपीसी में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे स्वीकार किया जाता है एवं चक 17 पीकेडी ए खाता सं0 54 मु0नं0 222/46 के किला नं0 18 ता 25 में 08.00 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड (0.0232 है0) कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड प्रार्थी का नाम भवानीसिंह NA माधेदान की जगह भवानी सिंह पुत्र माधूदान संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच भवानीसिंह NA माधेदान के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का भवानीसिंह NA माधेदान नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम भवानीसिंह NA माधेदान ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी/वादी स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। निर्णय आज सरे इजलास सुनाया गया।	